कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर राजस्थान

कार्यालय आदेश

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक–शिविरा–माध्य/संस्था/ एफ–1/12102/प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III/सी.भ/2016/ दिनांकः–12.06.18 के द्वारा राजस्थान अधिनस्थ एंव मन्त्रालयिक सेवा बोर्ड,जयपुर द्वारा चयनित प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III ,राजस्थान सिविल सेवा(पुर्नरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार वेतन लेवल–08 पद पर चयनोपरांत नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप संलग्न सूची में विवरणांकित आशार्थियों को प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III, राजस्थान सिविल सेवा(पुर्नरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार वेतन लेवल–08 में दो वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशन ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ1(12)डीओपी/ए–II/2005 दिनांक 20.01.2016 एवं एफ 12 (06) एफडी (नियम)/2005 दिनांक 13.03.2016 के प्रावधानानुसार विद्यामान वेतन/नियत पारश्रमिक (रू018500/–) देय होगा। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी। इनकी नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही राज्य सरकार के पत्रांक प. 17(8)शिक्षा–2/2015 जयपुर दिनांकः–19.12.17 में वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार दिनांक–19.06.2018 को आयोजित परामर्श शिविर के आधार पर पदस्थापन कर **संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे।**

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करावाया जावेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।

2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ7(1)डीओपी/ए–2/95 दिनांक 08.04. 2003 के अनुसार संबधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 10/– रूपयें को नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें।

3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैद्यता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्ये से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है , उन्हे यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्याधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबधित अभ्यर्थियों से 10/– रूपयें के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

4.आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल मूल दस्तावेजो से कार्यग्रहण किये जाने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे,मिलान में यदि कोई भिन्नता की स्थिति पायी जावे तो उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण इस कार्यलय को भिजवायेंगे।

5. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में पति के नाम एंव पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं है,परन्तु अभ्यार्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जोकि विवहा के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यलय को वापिस लोटा दें। उपर्युक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदकों को कार्यग्रहण करवाने सम्बन्धि कार्यवाही करें। यदि कोई अभ्यार्थी कीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यलय को भिजवायें।

6. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र पर चस्पा फोटो से मिलान कर यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि नियुक्ति प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी वही है जिसका आवेदन पत्र पर फोटो चस्पा है।

7. चयनित अभ्यार्थीयों की नियुक्ति प्रसारित विज्ञप्ति के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित एस.बी.सिविल याचिका संख्या–8555/2017,11523/2017,10421/2017 एंव विभिन्न याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहते हुए की गयी है।

(पीटीओ)

8. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें कि उसकें द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही हैं इनके त्रुटिपूर्ण , जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंन्त्र होगा।

9. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प. 7(3)कार्मिक/क–2 /06/ पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी बचनबंधता **(Undertaking)** निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये **पदस्थापन स्थान पर दिनांकः–30.06.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा**, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाऐं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाऐं समाप्त की जायेंगी।
संलग्न– आदेश संख्या 01

(महेन्द्र कुमार यादव)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक धौलपुर

क्रमांकः जिशिअ/मा/धौ/संस्था–1/फा–नियुक्ति प्रयो सहा.।।।/2018/985 दिनांक– 19.6.18
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु
1. श्रीमान शासन उपसचिव शिक्षा ग्रुप–2 विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान शासन उपसचिव कार्मिक(क–2) विभाग,राजस्थान,जयपुर।
3. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
4. श्रीमान उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर।
5. संबंधित संस्था प्रधान .... को मूल आवेदन पत्र संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि मूल आवेदन मय समस्त आवश्यक दस्तावेजों को सम्बन्धित की निजि पत्रावली फाईल तैयार कर अपने कार्यलय में संधारित कराना सुनिश्चित करें।
6. संबंधित आशार्थी .... को रजिस्टर्ड डाक से उनके पते पर।
7.रक्षित प्रति

(प्रमिला श्रीवास्तव)
अति0 जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक धौलपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर

आदेश संख्या 01

क्रसं.	मेरिट क्रमांक	अभ्यार्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	वर्ग	चयन वर्ग	पता	विकल्प की प्राथमिकता अनुसार नियुक्ति आवंटित जिला	विकल्पित विद्यालय का नाम
1	771	MANGAL KUMAR	HAJARI LAL	03/04/1984	GEN/OBC/CREAMY/SBC CREAMY	GENM	WARD NO 1 GURUSAR ROAD SHRI KARANPUR, SHRI GANGANAGAR	DHOLPUR	GOVT. SR. SEC. SCHOOL BAREH MORI(08080332706)
2	804	KAURAV SINGH	NAND RAM	03/11/1997	GEN/OBC/CREAMY/SBC CREAMY	GENM	VILL-SUROTA AWAR THE-KUMHER, SURATA, BHARATPUR	DHOLPUR	GOVT. SR. SEC. SCHOOL MARENA(08080407506)
3	1416	RAMNIWAS	RAMPAL	01/09/1996	OBC-NON CREAMY	OBCM	BISHNOI BAS, VPO,ALAY NAGAUR	DHOLPUR	GOVT. SR. SEC. SCHOOL KASIMPUR(08080330703)
4	1420	JITENDRA BIJARNIA	RAMDEV BIJARNIA	22/03/1991	OBC-NON CREAMY	OBCM	B 169 JAMNAPURI COLONY,MURLIPURA SCHEME JAIPUR	DHOLPUR	GOVT GIRLS.SR.SEC.SCHOOL SARMATHURA(08080111804)
5	1426	THANA RAM	PARNA RAM	26/06/1997	OBC-NON CREAMY	OBCM	VILL-HARSORE THE-DEGANA,TALECHO KI DHANI NAGAUR	DHOLPUR	GOVT. SR. SEC. SCHOOL RAJAKHERA(08080424303)

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक धौलपुर